<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>01/06/2026</u>

<u>ईडी ने पीएसीएल धन-शोधन मामले में 1595.85 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रामनगर, पंजाब में स्थित 'ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट' से संबंधित मौजूदा बाज़ार मूल्य 1595.85 करोड़ रुपये (बैंक के प्रति देनदारी को छोड़कर) की 14 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दर्ज की गई थी। तदनुसार, सीबीआई ने अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका के लिए 33 आरोपितों, जिसमें व्यक्ति व कंपनियां शामिल थे, के खिलाफ एक आरोप-पत्र व एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया था।

आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपित कंपनियों व व्यक्तियों ने एक व्यापक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूखंड बेचने व उसे विकसित करने के बहाने भारत भर में लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट भुगतान योजना के तहत निवेश करने के लिए उकसाया गया, और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, भूमि कभी प्रदान नहीं की गई, और निवेशकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी देय हैं। उक्त योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और अवैध लाभ के लिए अनेक फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने अपराध की आय के शोधन मे शामिल अलग-अलग आरोपितों व संस्थाओं के विरुद्ध 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की तथा 2018 में एक अभियोजन शिकायत, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में तीन पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर कीं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने अब तक दायर की गई सभी अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लिया है।

कुर्क की गई उक्त 14 संपत्तियों की पहचान निवेशकों की एकत्र धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों के तौर पर हुई है, जोकि अपराध की आय है। जांच से पता चला कि ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि व इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्तपोषित करने के लिए मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड से विपथित धनराशि का इस्तेमाल किया गया था जो असल में भोले-भाले निवेशकों से इकठ्ठा की गई थी।

उक्त कुर्की के साथ, ईडी अब तक भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 28,626 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। आगे की जांच जारी है।